कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 21.06.2026

♦ अपराधियों/अराजकतत्वों पर चन्दौली पुलिस की ताबड़तोड़ सख्त कार्रवाई

♦ वारंटी एवं पुरस्कार घोषित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहा लगातार अभियान

♦ लगभग 13 वर्षो से फरार पॉस्को से सम्बन्धित वांछित 50,000/- रूपए का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 08.11.2013 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री संजय सिंह निवासी गोबरिया प्लान्ट डिपो, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली द्वारा अपनी पुत्री श्वेती सिंह के साथ अभियुक्त द्वारा छेड़खानी करने, गाली-गलौज देने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मुगलसराय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 17.11.2013 को थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 320/2013 धारा 354(क), 504, 506 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम रंजय सिंह पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए गए। किन्तु अभियुक्त घटना के उपरान्त फरार हो गया तथा लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा।

चंदौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना मुगलसराय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 320/2013, धारा 354(क), 504, 506 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जाती रही, परन्तु वह अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों पर छिपकर रह रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने के कारण उसके विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.07.2022 को माननीय न्यायालय चन्दौली द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद अभियुक्त न तो गिरफ्तार हो रहा था और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहा था। अभियुक्त की लगातार फरारी को दृष्टिगत रखते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा पूर्व में ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे बाद में पुलिस

उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा बढ़ाकर ₹50,000/- कर दिया गया। पुरस्कार घोषित होने के उपरान्त भी अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा निरंतर मुखबिर को सक्रिय रखा गया तथा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जाती रही । इसी क्रम में दिनांक 20.06.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ₹50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रंजय सिंह गोबरिया प्लान्ट डिपो क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उ0नि0 शिव पूजन बिन्द मय हमराह का0 अमित कुमार द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया कि वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह गिरफ्तारी के भय से घर छोड़कर फरार हो गया था। पिछले लगभग 13 वर्षों से वह हिमाचल प्रदेश में रहकर मजदूरी एवं अन्य कार्यों के माध्यम से जीवनयापन कर रहा था। लंबे समय तक बाहर रहने के बाद उसे लगा कि मामला पुराना हो चुका है, इसलिए वह अपने घर वापस लौट आया।

अभियुक्त का विवरण-

1.रंजय सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी गोबरिया, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 320/2013धारा 354(क), 504, 506 भादवि धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट

□थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 70 किलो 760 ग्राम मांस व गोवध के उपकरणों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार,

चंदौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में पशु तस्करी एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मुगलसराय पुलिस क्षेत्र भ्रमण एवं चेकिंग किया जा रहा था कि इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सतपोखरी स्थित एक किराये की दुकान में कुछ व्यक्ति गोमांस रखकर बिक्री करने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम द्वारा उक्त दुकान पर दबिश दी गई, जहां से तीन व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जबकि दो व्यक्ति मौके से फरार हो गये। तलाशी एवं निरीक्षण के दौरान तीन बोरियों एवं एक झोले में कुल 70 किलोग्राम 760 ग्राम संदिग्ध मांस बरामद हुआ। मौके से मांस काटने में प्रयुक्त एक चापड़, तीन चाकू, दो रेती एवं एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। बरामद मांस का इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन कराया गया, जिसमें प्रथम बोरी में 27.540 किग्रा, द्वितीय बोरी में 16.730 किग्रा, तृतीय बोरी में 21.510 किग्रा तथा झोले में 4.980 किग्रा मांस पाया गया। कुल वजन 70.760 किलोग्राम रहा। सूचना पर पशु चिकित्साधिकारी डॉ० राजकुमार यादव को मौके पर बुलाकर परीक्षण कराया गया, पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया गौ मांस होना बताया गया। सैंपल लैब भेजा जाएगा।। आवश्यक नमूने संकलित कर नियमानुसार सील कर अग्रिम कार्यवाही की गई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे गोमांस बिहार राज्य के भभुआ क्षेत्र से लाकर स्थानीय स्तर पर बिक्री करते थे तथा इसी से अपनी आजीविका चलाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.नसीर पुत्र मो0 सलीम, निवासी सतपोखरी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 55 वर्ष।

2.राजू कुरैशी पुत्र स्व0 अब्दुल अजीज कुरैशी, निवासी सतपोखरी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 23 वर्ष।

3.रहीम पुत्र मो0 अमीन, निवासी मलोखर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 45 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 304/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं 4/25 आयुध अधिनियम थाना मुगलसराय चन्दौली

बरामदगी-

70 किलो 760 ग्राम मांस ,01 चापड़ ,03 चाकू ,02 रेती ,01 कुल्हाड़ी ,01 अदद मोटरसाइकिल संख्या UP62M0369